**3. विक्रय करने का करार**

विक्रय करने के करार का निष्पादन श्री .................... .................... निवासी .................... .................... (इसमें इसके पश्चात् क्रेता कहा गया) के पक्ष में "विक्रेता” को ........................ .................... पुत्र .................... ............ निवासी (इसमें इस के पश्चात् विक्रेता कहा गया) द्वारा तारीख .................. .................... को लिया गया।

1. विक्रेता एवम् क्रेता पद उनके वारिसों, उत्तरवर्तियों विधिक प्रतिनिधियों, प्रशासकों, निष्पादकों नाम निदेशितियों तथा समनुदेशितियों से अभिप्रेत होगा और वे उसके अन्तर्गत आयेगें।
2. यतः विक्रेता ........................ बीघे एवम् ........................ विस्वा, खसरा सं. .................... स्थित ........................ में मापमान वाली कृषिक भूमि का पूर्ण स्वामी एवम् कब्जाधारी है।
3. और यतः विक्रेता विक्रय करने का करार किया है और क्रेता ...................... .................... रुपये की एक रकम के लिए कथित भूमि का क्रय करने के लिए करार किया है जिसमें से अग्रिम धन एवम् आंशिक भुगतान के रूप में ................. .................... रुपये (.................. .................... रुपये मात्र) क्रेता से विक्रेता द्वारा प्राप्त की जा चुकी है जिसकी रसीद विक्रेता एतद्वारा स्वीकृत एवम् अभिस्वीकृत करता है जिसकी और .................... ......................... रुपये की बकाया रकम ( ......................... रुपये मात्र) विक्रय विलेख के रजिस्ट्रीकरण के समय पर क्रेता से विक्रेता द्वारा प्राप्त की जायेगी।
4. यह कि कथित भूमि का वास्तविक भौतिक रिक्त कब्जा विक्रय करने इस करार पर हस्ताक्षर करने के समय पर स्थान पर क्रेता को विक्रेता द्वारा परिदान किया जा चुका है।
5. यह कि विक्रेता निराक्षेप प्रमाणपत्र तथा आयकर समाशोधन प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।
6. यह कि कथित अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् विक्रेता रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा क्रेता को सूचित करेगा।
7. यह कि क्रेता को कथित सूचना की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिनों के अन्दर विक्रेता क्रेता या उसके नाम निर्देशिती / नाम निर्देशितीगण जिसमें असफल होने पर विक्रेता की लागत एवम् खर्चे पर संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन द्वारा विधि की न्यायालय के जरिये विक्रय को रजिस्ट्रीकृत करवाने का हकदार होगा।
8. यह कि विक्रेता क्रेता को यह आश्वासन देता है कि कथित भूमि, विक्रय, दान, बन्धक, विवादों, मुकदमें, अर्जन किसी न्यायालय की डिक्री में कुर्की, धारणाधिकार : न्यायालय व्यादेश पट्टे, करार इत्यादि ऐसे रूप में सभी विल्लगमों से स्वतंत्र है और यदि इसको सदेव अन्यथा साबित कर दिया जाना है तो विक्रेता क्रेता द्वारा झेली गयी हानि को पूरा करने हेतु उत्तरदायी एवम् दायी होगा।
9. यह कि मान ले भूमि का अर्जन विक्रय विलेख के रजिस्ट्रीकरण की तारीख के पूर्व सरकार द्वारा किया जाता है तो क्रेता प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा।
10. विक्रय विलेख के समस्त खर्च उदाहरणार्थ स्टांप शुल्क, रजिस्ट्रीकरण प्रभार इत्यादि को क्रेता द्वारा वहन एवम् संदाय किया जायेगा।
11. जिसके साक्ष्य में, पक्षकारों ने निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में ऊपर उल्लिखित प्रथम तारीख पर ....................... में विक्रय करने के इस करार पर हस्ताक्षर किया है।

साक्षीगण

1. ....................

2. ....................

विक्रेता

क्रेता